# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 36/2018

जी.सी.एस.एस. नं. : 2018/00036

गुरजीत सिंह बनाम मनजीत कौर आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 209 राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन मिढ़ढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादी)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 28.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 उसकी माता के नाम से बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का वाद पेश किया है। वाद पत्र का मुख्य आधार प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित बैयनामा दिनांक 09.04.2018 को बेनामी संव्यवहार कथित कर अनुतोष चाहा जो कि बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 4(1) के विधिक प्रावधानों के मुताबिक विधि बाधित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। वादी वाद लाने का विधिक अधिकारी नहीं है। ना ही वाद के अभिवचनों से वाद हेतुक प्रकट होता है। जवाब दावा व साक्ष्य की कतई आवश्यक्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया।
2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा बिना कोई विधिक प्रावधान गलत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब व देरी करने के आशय से मात्र दायर किया गया है। वादी का वाद पत्र किसी प्रकार कानूनी बिन्दुओं पर कोई विधि बाधित नहीं है। जबकि प्रकरण में जवाब दावा पेश होकर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश कर जिरह प्रतिवादी में नियत चला आ रहा है। इसलिए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
3. वकील प्रार्थी/प्रतिवादी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायिक दृष्टांत पेश किये और वाद वादी खारिज करने के लिए निवेदन किया। वादी अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा जो तथ्य उठाये गये है वे साक्ष्य के आधार पर तय किये जाने है इस स्तर पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता हैं प्रतिवादी द्वारा वाद विधि द्वारा किस प्रकार बाधित है सिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सस[illegible] अध्ययन किया। बेनामी संव्यवहार प्रतिषेद अधिनियम 1988 की धारा 4 का अवलोकन किया। [illegible] सं. 1/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस एवं प्रार्थना पत्र में धारा 4 [illegible] 1 पर बल दिया गया है। धारा 4 उपधारा 1 के उपबंध इस प्रकार से है कि :

**4. Prohibition of the right to recover property held benami.**—(1) No suit, claim or action to enforce any right in respect of any property held benami against the person in whose name the property is held or against any other person shall lie by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property. (2) No defence based on any right in respect of any property held benami, whether

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

against the person in whose name the property is held or against any other person, shall be allowed in any suit, claim or action by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property.

5. ऐसी स्थिति में चूंकि वादी स्वयं द्वारा अपने वाद पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि वादी द्वारा अपनी माता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से क्रय की गयी है, धारा 4 बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत निर्णय मा. राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 11325/2009 शान्ता देवी आदि बनाम आरति देवी आदि निर्णय दिनांक 19.07.2013 के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वाद पत्र धारा 4 बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण विचारणीय नहीं है।

**—: आदेश :—**

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 7 नि. 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाइ
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

**C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 36/2018
जी.सी.एस.एस. नं. : 2018/00036

गुरजीत सिंह बनाम मनजीत कौर आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 209 राज.काश्त.अधि., 1955

दिनांकः–28.01.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन कुमार मिढ्ढा की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

**" प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 7 नि. 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। "**

डिक्री आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी | | 7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 8.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प..... रूपये पर प्लीडर की फीस | | 9.प्लीडर की फीस | |
| 4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | 10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | |
| 5.कमिश्नर की फीस | | 11.आदेशिका की तामील | |
| 6.आदेशिका की तामील | | 12-कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner